13-6-18

प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अभियोजन अधिकारी एंव 02 के वकील उपस्थित। प्रार्थी के वकील ने धारा 451 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा द्वारा सीआर नम्बर 05/2017 में बरामद वाहन टाटा ट्रक LPT 3118 नम्बरी RJ–40– GA–1234 को सुर्पुदगीनामा पर सुपुर्द करने का निवेदन किया।

इस प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पुलिस थाना सेड़वा द्वारा वाहन संख्या LPT 3118 नम्बरी RJ–40– GA–1234 अवैध रूप से ऊँट परिवहन करते सीज किया जो वर्तमान में पुलिस थाना सेड़वा में खड़ा है। यह वाहन अप्रार्थी सख्या 02 अकबर पुत्र सुबान खान जाति मुसलमान निवासी गुडडू की ढाणी टियूबास तहसील कोट कासिम जिला अलवर के नाम से रजिस्टर्ड था जो टाटा फाइनेंन्स लि. कम्पनी से ऋण एग्रीमेंट नम्बर 5002035838 से फाईनेन्स सुदा थी जिस पर वाहन पर कुल 21,90,000/– रूपये ऋण लिया गया था। वाहन मालिक द्वारा फाइनेन्स की किश्तो की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिस कारण उक्त वाहन फाइनेन्स कम्पनी सुर्पुदगीनामा पर प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थी को टाटा मोटर्स फाइनेन्स लि. कम्पनी द्वारा वाहन रिलिज करवाने हेतु दिनांक 31.03.2018 को अधिकृत किया गया है। पुलिस थाना सेड़वा द्वारा उक्त प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश किया जा चुका है। उक्त वाहन को जब कभी अदालत हाजा तलब करेगी तो मै स्वंय एंव निजी खर्चे से लाकर अदालत पेश कर दूँगा तथा अदालत हाजा द्वारा निर्देशित सभी शर्तो का पालन करूँगा इसलिये वाहन संख्या LPT

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

रीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए

3118 नम्बरी RJ–40– GA–1234 को सुपुर्ददगीनामा पर सुर्पुद किया जाए। अप्रार्थी संख्या 02 ने उसके वाहन को टाटा मोटर्स फाईनेन्स कम्पनी कासे सुर्पुदगीनामा व जमानतनामा पर सुपुर्द करने का शपथ पत्र पेश किया है। इसके जवाब में अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम,2015 में ऊँटों के परिवहन हेतु पकड़े गये वाहन को सुर्पुदगीनामा पर सुपुर्द करने का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से वाहन को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द नहीं किया जा सकता। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। प्रार्थी ने टाटा मोटर्स फाईनेन्स कम्पनी द्वारा उक्त वाहन रिलिज करवाने हेतु अधिकृत होना बताते हुए पुलिस थाना सेड़वा द्वारा वाहन संख्सा टाटा ट्रक LPT 3118 नम्बरी RJ–40– GA–1234 में अवैध रूप से ऊँट परिवहन करते सीज वाहन को सुपुर्ददगीनामा पर सुपुर्द करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान ऊँट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम,2015 की धारा 07 का अवलोकन किया गया। धारा 7 में अभिगृहित उँट की अभिरक्षा, मामले का अंतिम निपटारा होने तक सक्षम अधिकारी के आदेश से ऐसे पशुओ के कल्याण के लिये कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वेच्छिक एजेन्सी को सौंपी जाने का प्रावधान है।वाहन को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द करने के सम्बन्ध में अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में पुलिस थाना सेड़वा द्वारा उक्त प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पेश करना बताया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की मंशा अनुसार जिस न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया है वही न्यायालय वाहन को सुर्पुदगीनामा पर सुर्पुद करना प्रकट होता है। अतः उक्त अधिनियम के तहत इस न्यायालय को बरामद वाहन सुर्पुदगीनामा पर सुपुर्द करने का कानून में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सुर्पुदगीनामा का आवेदन पत्र पोषणीय (maintainable)नहीं है। अतःपत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

जिला कलक्टर
बाड़मेर